न्यायालय सहायक कलक्टर झाडोल जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री अक्षय गोदारा, I.A.S.
प्रकरण सख्या 31 / 2019 प्रार्थना पत्र

अनवान

1. श्री मोहनलाल पिता अम्बालाल गरासिया निवासी परमेर तहसील झाडोल
2. श्रीमती धुलीबाई पत्नि मोहनलाल गरासिया निवासी परमेर तहसील झाडोल

...............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री गुला पिता नाथा गरासिया निवासी परमेर तहसीली झाडोल
2. श्री लालू पिता केशा गरासिया निवासी परमेर तहसीली झाडोल
3. श्री कूरा पिता केशा गरासिया निवासी परमेर तहसीली झाडोल
4. श्री चेना पिता नाथा गरासिया निवासी परमेर तहसीली झाडोल
5. श्री बदा पिता गुजा गरासिया निवासी परमेर तहसीली झाडोल

..........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 27.02.2020

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व व खातेदारी की कृषि भूमि आराजी मौजा परमेर, पटवार हल्का पानरवा, तहसील झाडोल की जमाबंदी संवत् 2069–2072 की खाता संख्या 31 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 286, 288, 353, 530 / 359 कुल किता 4 कुल रकबा 0.14 है0 कुल लगान 0.44 रूपये स्थित है। इसी प्रकार मौजा परमेर की खाता संख्या 30 पर प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 287, 351 किता 2 कुल रकबा 0.71 है0 कुल लगान 2.31 रूपये स्थित है।

उक्त वर्णित प्रार्थीगण की कृषि भूमि के पडौस में विपक्षी संख्या 1 से 5 की भूमियां आ गई है जिससे विपक्षीगण सीमाकंन के अभाव में प्रार्थीगण की भूमियो की ओर बढते चले आ रहे है कभी मवेशी से नुकसान कराते है। विवाद करते रहते है। अतः नियमानुसार पत्थरगढी करावे। पत्थरगढी शुल्क अदा करने को तैयार हूॅं।

Akshay
सहायक कलक्टर
झाडोल (फ), जिला उदयपुर

प्रकरण पर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया व कहा कि प्रार्थीगण अपने स्वंय के खर्चे से अपने खातेदारी की जमीन पर पत्थरगढी कराना चाहते है तो हमे कोई एतराज नही है लेकिन पत्थरगढी की आड में हमारे आने–जाने के अधिकार से वंचित नही कर सकता।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण वर्णित भूमियो के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झाडोल को 500 रूपया फीस पर कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा परमेर, पटवार हल्का पानरवा, तहसील झाडोल की जमाबंदी संवत् 2069—2072 की खाता संख्या 31 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 286, 288, 353, 530/359 कुल किता 4 कुल रकबा 0.14 है0 कुल लगान 0.44 रूपये एवं इसी प्रकार मौजा परमेर की खाता संख्या 30 पर प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 287, 351 किता 2 कुल रकबा 0.71 है0 कुल लगान 2.31 रूपये कृषि भूमि की स्थाई सीमा चिन्हो से पक्षकारो को पूर्व सूचना देकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि की बाहरी सीमाओं पर पत्थरगढी करावे। तहसीलदार झाडोल को तहरीर जारी की जावे।

आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर, झाडोल
जिला उदयपुर